**सामान्य पावर आफ अटार्नी**

**(General Power of Attorney)**

**मुखत्यारनामा आम**

यह कि मैं श्रीमती ............ धर्मपत्नी स्व. ............ आयु लगभग ............ वर्ष निवासी ............ दिनांक............ के अनुबन्ध के आधार पर ............ क्रय करने हेतु और ............. (बाद में कम्पनी कहा जायेगा) प्लाट नंबर ............ रकबई ............ वर्ग गज और प्लाट नंबर ............ रकबई ............ वर्ग गज (कम या अधिक मौके पर) कम्पनी की कालोनी...... में अंकन रु० ............ प्रति वर्ग गज और अंकन रु० ............ प्रति वर्ग गज क्रमश: विक्रय करने को सहमत हो गये हैं।

1. यह कि मैं अपनी वृद्धा अवस्था के कारण उपरोक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत लेन देन करने हेतु प्रभावी रूप से हाजिर होने में समर्थ नहीं हूँ।
2. यह कि मेरे लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपने लिए निम्नांकित लेन देन के वास्ते किसी को अटार्नी नियुक्त करूँ।
3. यह कि गवाहों की उपस्थिति में निम्नांकित उद्देश्यों के वास्ते मैं कि उपरोक्त नामांकित श्रीमती ............ श्री ............ पुत्र श्री ............ निवासी ............ को अपना वास्तविक और कानूनी अटार्नी अपने लिए नियुक्त करती हूँ जो कि मेरे नाम से और मेरी ओर से निम्नांकित कार्य, दस्तावेज, चीजें, मामले करेगा, निष्पादन और पूर्ण करेगा।
4. मुझे और मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए विक्रय पत्र आदि सहित सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा और पंजीयन अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होगा, निबन्धक अथवा उपनिबन्धक जैसी भी स्थिति हो, और निष्पादन को स्वीकार करेगा।
5. किसी भी दस्तावेज को निष्पादित, हस्ताक्षर और हस्तगत करने और मेरा जिस नाम से पुकारा जाना आवश्यक हो अथवा हस्ताक्षर किया जाना उपरोक्त आवासीय भूखण्डों के सम्बन्ध में ....... कालोनी में जरूरी हो सभी कार्य करेगा।
6. (ii) मेरी ओर से धरोहर राशि जमा करने अथवा पृथक किश्त भुगतन करने अथवा बाद वाली किश्तों का भुगतान समयावधि के भीतर करने और विक्रेता से पावती प्राप्त करने का कार्य करेगा यदि खरीदारी किश्तों के आधार पर की गई है । यदि सीधी खरीदारी की जाती है जिसमें धरोहर राशि का भुगतान किया जाये और शेष राशि भूखण्डों का कब्जा मिलने पर किया जाये तो ऐसा ही करेगा।
7. आवासीय भूखण्डों ............ की खरीद से सम्बन्धित अनुबन्ध को प्रभावी करने के वास्ते मेरे नाम के स्थान पर अनुबन्ध में मेरी ओर से पक्षकार बनने ............ के साथ अथवा अन्य काई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उसके लिये सीधे अथवा किसी माध्यम से कार्य करने हेतु किसी हानि के लिए, मुझे उत्तरदायी ठहराये बगैर किसी अन्य कारणों से और उक्त भूखण्डों पर भवन नमाण करने हेतु, मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद कराने के लिए और वे सभी कार्य करने हेत् जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, करेगा।
8. बैनामा निष्पादित करने, निबन्धक/उपनिबन्धक के समक्ष ऐसे निष्पादन को स्वीकार करेगा, याद आवश्यक हो, नगरपालिका अधिकारियों के ना रुपेक्षित दर उदग्रहण अन्य बकाया का भुगतान करेगा, विद्युत प्राधिकारियों के यहाँ विद्युत कनैक्शन के लिए आवेदन करेगा, सम्बन्धित प्राधिकारियों से जल का कनैक्शन लेने, मनमाने, अवैध और विधि में अपोषणीय माँगों को प्रतिवादित करने को अधिकृत है।
9. सभी वादों तथा अन्य कार्य व कार्यवाहियाँ दायर करने, आरम्भ करने, अभियोजित करने उसे चालू रखने, अथवा प्रतिरक्षा या प्रतिरोध करने, पक्षकार बनने, उसकी सम्पत्ति से सम्बन्धित को वापिस लेने, सिविल, दान्डिक, राजस्व न्यायालय में, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, आयकर व धन कर प्राधिकारियों के समक्ष सभी कार्यवाहियों में जिसमें मैं पक्षकार हूँ, सभी वादपत्रों को हस्ताक्षरित व सत्यापित करने, लिखित कथन दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व सत्यापित करने, किसी आदेश आज्ञाप्ति या निर्णय का निष्पादन कराने, किसी को अधिवक्ता नियुक्त करने, वकालतनामा निष्पादित व हस्ताक्षरित करने को अधिकृत है

 सामान्य रूप से निष्पादन करने, अन्य कार्य, प्रलेख, मामला, वस्तु जो कुछ भी उसकी राय में किया जाना चाहिए, करने हेतु अधिकृत है—उक्त से संबंधित अनुषंगिक व प्रासंगिक कार्यों के लिए पूर्णत: व प्रभावी रूप से उसी प्रकार से अधिकृत है जैसे वह स्वयं उपस्थित रहते हुए करती।

 मैं एतद द्वारा एटार्नी द्वारा मुख्यारनामा के अधीन विधिवत किये गये सभी कार्यों को अनुसमर्थन व सम्पुष्ट करने हेतु स्वीकार करती हूँ और उत्तरदायित्व लेती हूँ और विधिक उद्देश्यों हेतु मैं उनसे आबद्ध हँगी--पूर्ण बोध से इस मुख्यारनामा आम को मैंने आज दिनाँक ............ को स्थान ....... पर निष्पादित किया है।

**साक्षीगण......... ........ निष्पादक**